



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 307] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 30, 1974/अग्रहायण 9, 1896
No. 307] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 30, 1974/AGRAHAYANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paglog is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME TAX

New Delhi, the 30th November 1974

G.S.R. 671(E).—Whereas the Government of India and the Government of Japan have concluded an Agreement through exchange of Notes as set out in the Annexure hereto, for modifying the Agreement between India and Japan for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income signed at New Delhi on the 5th day of January, 1960 as modified and supplemented by the Protocol signed at New Delhi on the 8th day of April, 1969;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

New Delhi,
30th November, 1974.

Excellency,

I have the honour to refer to Article XII of the Agreement between India and Japan for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income signed at New Delhi

on January 5, 1960 (hereinafter referred to as "the Agreement") and to Article VIII, paragraph 3 of the Protocol Modifying and Supplementing the Agreement signed at New Delhi on April 8, 1969 (hereinafter referred to as "the Protocol") and to confirm, on behalf of the Government of India, the following understandings reached between the representatives of the two Governments:

1. In implementing the provisions of Article XII of the Agreement, it is understood that:

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information including documents (hereinafter referred to as "information") as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement, including information for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of the Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of the Agreement or to persons with respect to whom the information relates.

(2) The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) above be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

2. With reference to Article VIII, paragraph 3 of the Protocol:

The provisions of paragraph 1 of Article IV of the Protocol shall continue to be applicable:

- (i) on the part of India, in respect of the assessment year commencing on the 1st day of April, 1972 and the subsequent four assessment years; and
- (ii) on the part of Japan, in respect of any taxable year beginning between the 1st day of January, 1971 and the 31st day of December, 1975.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming the foregoing understandings shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which will enter into force on the date of Your Excellency's reply and remain in force as long as the Agreement and the Protocol remain in force.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(Sd.) H. N. RAY,
Secretary to the Government of India.

His Excellency Mr. Kinya Niiseki,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to India.

New Delhi,
30th November, 1974.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date which reads as follows:

"I have the honour to refer to Article XII of the Agreement between India and Japan for the Avoidance of Double Taxation in respect of Taxes on Income signed at New Delhi on January 5, 1960 (hereinafter referred to as "the Agreement") and to Article VIII, paragraph 3 of the Protocol Modifying and Supplementing the Agreement signed at New Delhi on April 8, 1969 (hereinafter referred to as "the Protocol") and to confirm, on

behalf of the Government of India, the following understandings reached between the representatives of the two Governments:

1. In implementing the provisions of Article XII of the Agreement, it is understood that:

(1) The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information including documents (hereinafter referred to as "information") as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement, including information for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of the Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of the Agreement or to persons with respect to whom the information relates.

(2) The exchange of information shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information which shall be furnished on a routine basis.

(3) In no case shall the provisions of paragraph (1) above be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

2. With reference to Article VIII, paragraph 3 of the Protocol:

The provisions of paragraph 1 of the Article IV of the Protocol shall continue to be applicable:

- (i) on the part of India, in respect of the assessment year commencing on the 1st day of April, 1972 and the subsequent four assessment years; and
- (ii) on the part of Japan, in respect of any taxable year beginning between the 1st day of January, 1971 and the 31st day of December, 1975.

I have further the honour to propose that this Note and Your Excellency's Note in reply confirming the foregoing understandings shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which will enter into force on the date of Your Excellency's reply and remain in force as long as the Agreement and the Protocol remain in force."

I have further the honour to confirm the foregoing understandings on behalf of the Government of Japan and to agree that Your Excellency's Note and this Note shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments, which will enter into force on the date of this reply and remain in force as long as the Agreement and the Protocol remain in force.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

(Sd.) KINYA NIISEKI,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Japan to India.

Mr. H. N. Ray,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance.

[No. 786/F. No. 145/3/71-FTD]

E. R. MEHTA, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1974

सा०का०नि० 671(अ).—जो कि भारत और जापान सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ 5 जनवरी 1960 को नई दिल्ली में करार हस्ताक्षरित हुआ था, और जिसका संशोधन एवं अनुपूरण 8 अप्रैल 1969 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित संलेख द्वारा किया गया था, और जिसमें संशोधन करने के निमित्त भारत सरकार और जापान सरकार ने इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा वर्णित टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा एक करार किया है;

अतः, अब, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत मंध में लागू किया जायगा ।

ऊराबंध

नई दिल्ली,

30 नवम्बर, 1974

महामहिम,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में 5 जनवरी 1960 के हस्ताक्षरित करार के (इसमें इसके पश्चात् "करार" के नाम से निर्दिष्ट) अनुच्छेद XII तथा करार के संशोधन और अनुपूरण में नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1969 को हस्ताक्षरित संलेख के (इसमें इसके पश्चात् "संलेख" के नाम से निर्दिष्ट) अनुच्छेद VIII, पैराग्राफ 3 के संदर्भ में भारत सरकार की ओर से मैं, दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच निम्नलिखित बातें तय होने की पुष्टि करता हूँ:—

1. करार के अनुच्छेद XII के उपबंधों के परिपालन में यह तय हुआ है कि:—

(1) संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना एवं दस्तावेजों का (इसमें इसके पश्चात् "सूचना" के नाम से निर्दिष्ट) आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के परिपालन के लिए तथा उन करों के अपबंचन अथवा निवारण को रोकने अथवा उसका पता लगाने संबंधी सूचना के लिए आवश्यक है, जो इस करार के विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना को गुप्त रखा जायगा, परन्तु उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक विभाग शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो इस करार के विषय-भूत करों के संबंध में कर-निर्धारण, संग्रह, प्रवर्तन अथवा अभियोजन से संबंधित हों अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा जिनसे सूचना का संबंध हो।

(2) सूचना का आदान-प्रदान नेमी आधार पर होगा अथवा विशिष्ट मामलों के संबंध में निवेदन के आधार पर होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, नेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना की सूची को समय समय पर स्वीकार करेंगे।

(3) किसी भी स्थिति में उपर्युक्त पैराग्राफ (1) के उपबंधों का अर्थ किसी एक संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता अधिरोपित करना नहीं होगा:

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य व्यवस्था में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना देना जिसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा ऐसी व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो।

2. संलेख के अनुच्छेद III, पैराग्राफ 3 के संदर्भ में:

संलेख के अनुच्छेद IV के पैराग्राफ 1 के उपबंध निम्नोक्त प्रकार से लागू रहेंगे :

- (i) जहां तक भारत का संबंध है, वर्ष 1972 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष तथा उसके परवर्ती चार कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में, तथा
- (ii) जहां तक जापान का संबंध है, वर्ष 1971 के जनवरी मास के प्रथम दिन तथा वर्ष 1975 के दिसम्बर मास के 31वें दिन के बीच शुरू होने वाले किन्हीं भी कराधेय वर्षों के संबंध में।

इस के अतिरिक्त, मुझे यह प्रस्ताव करने का सम्मान प्राप्त है कि इस पत्र को तथा पूर्वोक्त मसौदे की पुष्टि के उत्तर में महामहिम के पत्र को, दोनों सरकारों के बीच किया गया करार माना जायगा जो महामहिम के उत्तर की तारीख से लागू होगा तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार तथा संलेख लागू रहेंगे।

इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप, महामहिम को अपनी परम आदर भावना का आभवात्मन देता हूँ।

(ह०) हिमाद्रि नागायण राय,
सचिव, भारत सरकार।

महामहिम श्री किन्या नीमेकी,
भारत में जापान के असाधारण
राजदूत एवं पूर्णाधिकारी

नई दिल्ली, नवम्बर 30, 1974

महामहिम,

मैं महामहिम के आज की तारीख के पत्र की प्राप्ति स्वीकारता हूँ जिसमें इस प्रकार लिखा गया है:—

“आप पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारणार्थ भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में 5 जनवरी 1960 को हस्ताक्षरित करार के (इसमें इसके पश्चात् “करार” के नाम से

निर्दिष्ट) अनुच्छेद XII तथा करार के संगोपन और अनुसूचन में नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1969 को हस्ताक्षरित संलेख के (इसमें इसके पश्चात् "संलेख" के नाम से निर्दिष्ट अनुच्छेद VIII, पैराग्राफ 3 के संदर्भ में भारत सरकार की ओर से मैं, दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच निम्नलिखित बातें तय होने की पुष्टि करता हूँ:—

1. करार के अनुच्छेद XII के उपबंधों के परिपालन में यह तय हुआ है कि:

(1) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना एवं दस्तावेजों का (इसमें इसके पश्चात् "सूचना" के नाम से निर्दिष्ट) आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों के परिपालन के लिए तथा उन करों के अपवंचन अथवा निवारण को रोकने अथवा उसका पता लगाने संबंधी सूचना के लिए आवश्यक है, जो इस करार के विषय हैं। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई सूचना को गुप्त रखा जायगा, परंतु उसे ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक विभाग शामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो इस करार के विषय-भूत करों के संबंध में कर-निर्धारण, संग्रह, प्रवर्तन अथवा अभियोजन से संबंधित हों अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा जिनसे सूचना का संबंध हो।

(2) सूचना का आदान-प्रदान नेमी आधार पर होगा अथवा विशिष्ट मामलों के संबंध में निवेदन के आधार पर होगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, नेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना की सूची को समय समय पर स्वीकार करेंगे।

(3) किसी भी स्थिति में उपर्युक्त पैराग्राफ (1) के उपबंधों का अर्थ किसी एक संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता अधिरोपित करना नहीं होगा:

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा के विपरीत प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य व्यवस्था में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना देना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा ऐसी व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो।

2. संलेख के अनुच्छेद VIII, पैराग्राफ 3 के संदर्भ में:

संलेख के अनुच्छेद IV के पैराग्राफ 1 के उपबंध निम्नोक्त प्रकार से लागू रहेंगे :

- (i) जहां तक भारत का संबंध है, वर्ष 1972 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को शुरु होने वाले कर-निर्धारण वर्ष तथा उसके परवर्ती चार कर-निर्धारण वर्षों के संबंध में; तथा
- (ii) जहां तक जापान का संबंध है, वर्ष 1971 के जनवरी मास के प्रथम दिन तथा वर्ष 1975 के दिसम्बर मास के 31वें दिन के बीच शुरु होने वाले किन्हीं भी कराधेय वर्षों के संबंध में।

इसके अतिरिक्त, मुझे यह प्रस्ताव करने का सम्मान प्राप्त है कि इस पत्र को तथा पूर्वोक्त समझौते की पुष्टि के उत्तर में महामहिम के पत्र को, दोनों सरकारों के बीच किया गया करार माना जायगा जो महामहिम के उत्तर की तारीख से लागू होगा तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार तथा संलेख लागू रहेंगे।"

इसके अतिरिक्त, मैं जापान सरकार की ओर से पूर्वोक्त समझौते की सादर पुष्टि करता हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि महामहिम के पत्र को श्रीर इम पत्र को, दोनों सरकारों के बीच किया गया करार माना जायगा, जो इस उत्तर की तारीख से लागू होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार तथा संकेत लागू रहेंगे ।

इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप, महामहिम को अपनी परम आदर भावना का आश्वासन देता हूँ ।

(ह०) किल्या नीसेकी,
भारत में जापान के असाधारण
राजदूत एवं पूर्णाधिकारी ।

श्री हिमाद्रि नारायण राय,
सचिव, भारत सरकार,
विद्युत् मंत्रालय ।

[सं० 786/फा०सं० 145/3/71-एफ० टी० डी०]

एम० आर० मेहता, अपर सचिव ।

